बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग

कार्यालय आदेश

पटना, दिनांक 09.10.2026

आ0सं0– 04/नि–16–161/2016(307570) 2046 /विभागीय आदेश ज्ञापांक–18 दिनांक–05.01.2026 द्वारा श्री विजय कुमार, भा.प्र.से. अपर सचिव, शिक्षा विभाग को मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड का कार्य (वित्तीय प्रभार सहित) एवं बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 की धारा 24 तथा बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की धारा 28 के तहत क्रमशः बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड एवं बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई हेतु अपीलीय प्राधिकार का प्रभार प्रदान किया गया है।

2. निदेशानुसार, कार्यहित में श्री सज्जन आर. भा.प्र.से., अपर सचिव, शिक्षा विभाग को मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड का कार्य (वित्तीय प्रभार सहित) एवं बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 की धारा 24 तथा बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की धारा 28 के तहत क्रमशः बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड एवं बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई हेतु अपीलीय प्राधिकार का प्रभार प्रदान किया जाता है।

3. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री विजय कुमार, भा.प्र.से., अपर सचिव उपरोक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

5. उक्त पर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

9.10.26

(विजय कुमार पाण्डेय),
निदेशक (प्रशासन)।

ज्ञापांक :–04/नि–16–161/2016 2046 पटना, दिनांक 09.10.2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्य के सभी कोषागार पदाधिकारी/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

9.10.26

निदेशक (प्रशासन)।

ज्ञापांक :– 04/नि–16–161/2016 2046 पटना, दिनांक 09.10.2026

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के आप्त सचिव/श्री सज्जन आर. भा.प्र.से., अपर सचिव/श्री विजय कुमार, भा.प्र.से., अपर सचिव, शिक्षा विभाग/ मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, BBOSE, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग/सभी उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर/मीडिया कोषांग, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9.10.26

निदेशक (प्रशासन)।